

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अप्रील संख्या 1849,1851,1853 व 1856 / 2014.....जिला-जयपुर  
उनवान-मैं कायाकर्त्त्य हर्बल्स जयपुर बनाम वाणिज्यक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचन,जोन-तृतीय, जयपुर व  
अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यक कर,जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज हुक्म	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	---	--

अ. सं.	अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन आवेदित राशि	अपीलीय अधिकारी हेतु आवेदित राशि	अपीलीय अधिकारी द्वारा आवेदित राशि	स्थगन हेतु आवेदित राशि
1849 / 14	1,90,455/-	1,12,696/-	1,12,696/-	77,759/-
1851 / 14	7,61,222/-	4,67,008	4,67,008	2,94,214/-
1853 / 14	92,366/-	58,832/-	58,832/-	33,534/-
1856 / 14	9616/-	6306/-	6306/-	3310/-

उम्मय पक्षीय की वहस पर मग्न किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टाताँ का सम्मग्न अद्ययन के पश्चात यह पीठ अनुभव करती है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु प्रस्तुत किये ग्राहना पत्र में स्थगन हेतु आवेदित राशियों को अस्वीकार करने के सब्द्य में

किसी प्रकार का कोई कारण अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.10.2014 में अंकित नहीं किया गया है। लिहाजा, अपील के गुणवत्ता को प्रभावित किये बिना स्थगन हेतु आवेदित राशि की वसूली पर निर्धारण अधिकारी के सत्रोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थगन हेतु आवेदित राशियों की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्पावी समझा जावेगा साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणवत्ता पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील कुमार)

सदस्य